

(15)

208



F-16-7-14

नवीन प्रकरण 2304/2014

रा. रा. श्रीमान सदस्य/अध्यक्ष राजस्व मंडल गवालियर, बैच इंदौर

R. 2304-PBR/14

1. मणिबाई पति रामचरण

आयु 70 वर्ष, धूधा कृषि सर्व गृहकार्य

नि. ग्राम मानपुर तहसील मह जि. इंदौर म. प्र.

2. लक्ष्मीबाई पति केसरसिंह

आयु 63 वर्ष, धूधा गृहकार्य

नि. ग्राम मानपुर तहसील मह जि. इंदौर म. प्र. --रिविजनगण

श्री मोहन थामी
भारतकांड आज
दिनांक 15-7-14 को इस्तेमाल
लाप्त करनुपर्याप्त।

G.M.
15-7-14

विल्क्षण

1. चितराबाई पति नवल किशोर

आयु लगभग 70 वर्ष, धूधा कृषि

नि. मानपुर तहसील मह जि. इंदौर म. प्र.

2. राजेश पिता नवलकिशोर

नि. सदर

3. अनिता पति सतोष

नि. सदर

4. गोप्तम पिता सतोष

नि. सदर

5. सिद्धार्थपिता सतोष

नि. सदर

6. शिवकलाबाई पति बालकृष्ण

नि. सदर

7. सैफतबाई बैवा प्यारेलाल

नि. सदर

8. राजु पिता प्यारेलाल

नि. सदर

9. पवन पिता प्यारे लाल नि. सदर

--2

लक्ष्मीलाल १५-७-१४

म. बाई
तारु देवी

निरीतर-2

10. विमला पिता परेलाल

निं. सदर

-- प्रतिप्रार्थीगण

रिविजन याचिका अन्तर्गत धारा 50 भु. रा. सैद्धांत के तहत

01. रिविजनकत गिणेके द्वारा यह रिविजन याचिका अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अधिकारी नगर मह के द्वारा अपोल प्रकरण क्र. 44/अपोल/12-13 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2014 जिसके माध्यम से अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा तीन वर्ष पश्चात् प्रस्तुत को गयो अवधि बाधित अपोल को अवधि में मानने को गंभीर भूल करते हुए प्रतिप्रार्थी चिकाबाई का आवेदन धारा 5 अवधि विधान का आवेदन स्वोकार किया है जिससे पोडित होकर यह रिविजन प्रस्तुत को जा रही है।

प्रकरण के तथ्य

02. यह फि, प्रतिप्रार्थी चिकाबाई के द्वारा एक अपोल क्र. 44/अपोल/120-13 दिनांक 10.07.2013 को अनुविभागीय अधिकारी महोदय अधिकारी नगर मह के समक्ष अपर तहसीलदार महोदय, टप्पा मानपुर के प्रकरण क्र. 35/अ-27/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 16.11.2010 के विलम्ब प्रस्तुत को गई तथा अपोल अवधि बाधित होने के कारण विलम्ब माफ़ किये जाने के धारा 5 अवधि विधान का आवेदन प्रस्तुत किया जो अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा विधि विलम्ब रूप से तथ्योक्त विपरित स्वोकार करने में विधि की गंभीरतम भूल को है जिससे पोडित होकर यह याचिका प्रस्तुत को जा रही है।

रिविजन याचिका के आधार


03. यह फि, नायब तहसीलदार महोदय टप्पा मानपुर के बतारा प्रकरण में दिनांक 3.8.2010 को प्रतिप्रार्थी चिकाबाई उपस्थित हुई

मुरगीबाई
लक्ष्मीबाई देवी

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2304-पीबीआर/2014 जिला इंदौर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-02-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भ्-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों। उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p style="text-align: right;"> </p>	